

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना-15, दिनांक-8.5.26

विषय:- बिहार सूचना आयोग के वाद संख्या-A7980/2017 में पारित आदेश
ज्ञापांक-6824, दिनांक-28.01.2026 एवं पत्रांक-1302, दिनांक-25.09.2008 का
अनुपालन हेतु।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सूचना आयोग के
वाद संख्या-A7980/2017 में पारित आदेश ज्ञापांक-6824, दिनांक-28.01.2026 में वर्णित
बिहार सूचना आयोग के पत्रांक-1302, दिनांक-25.09.2008 में निम्नलिखित तथ्य वर्णित है:-

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकारी की
जिम्मेदारी है कि अपने सभी अभिलेखों/दस्तावेजों को समयक रूप से सूचीपत्रित करें। लोक
सूचना पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास उनके विभाग से संबंधित सभी
सूचना का मूल स्रोत होगा तथा वे संबंधित प्राधिकार की ओर से सूचना देने के लिए प्राधिकृत
एवं सक्षम होंगे। प्रत्येक लोक प्राधिकार की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने लोक सूचना
पदाधिकारियों की पहुँच सभी कागजात/संचिका/अभिलेखों तक बनाये।

3. अभिलेख को अनुपलब्धता बताकर सूचना देने से इंकार किये जाने पर यह आशंका
भी होती है कि क्या सूचना नहीं दिये जाने के इरादा से विभाग के अभिलेख को गायब तो नहीं
किया जाता है।

4. मांगी गई सूचना से संबंधित संचिका/अभिलेख/दस्तावेज की अनुपलब्धता की
स्थिति में सचिवालय के मामलों में विभागीय सचिव अथवा विभागाध्यक्ष तथा अधीनस्थ कार्यालयों
की स्थिति में कार्यालय प्रधान इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि वांछित
संचिका/अभिलेख/दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा उसे उपलब्ध कराने के लिए
कानूनी कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाई की गयी है तथा संबंधित कर्मों पर जबाबदेही का निर्धारण
किया गया है/अथवा किया जायेगा।"

अतः उपर्युक्त के आलोक में अपने अधीनस्थ लोक सूचना प्राधिकारों को निदेशित करने
की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-21/रा0सू0आ0-06/2025, सा.प्र.8116/पटना-15, दिनांक-8.5.26

प्रतिलिपि- बिहार सूचना आयोग के ज्ञापांक-6824, दिनांक-28.01.2026 के क्रम में
सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।